



Neutral Citation Number- 2026:AHC:37753

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5737/2026

उदय नारायण राय और अन्य

....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 23 अन्य

....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: जय प्रकाश राय, राजेश तिवारी

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता द्वारा यू.पी.जेड.ए. एवं एल.आर. एक्ट, 1950 की धारा-176 के तहत शुरू की गई कार्यवाही, जो आर.एस.टी. संख्या-1777 के रूप में पंजीकृत थी, को दिनांक 29.04.2025 के आदेश द्वारा त्रुटि के कारण खारिज कर दिया गया था; और उसी तारीख को याचिकाकर्ता द्वारा बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन त्रुटि से उसमें धारा-176 के स्थान पर धारा-116 का उल्लेख कर दिया गया था। उपर्युक्त बहाली आवेदन को दिनांक 09.12.2025 के आदेश द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि मूल वाद, 1950 के अधिनियम की धारा-176 के तहत दायर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया गया था, जबकि बहाली आवेदन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-116 के तहत दायर किया गया था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य- प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को इस आदेश से कोई शिकायत होती है, तो उन्हें इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

4. उपर्युक्त का अवलोकन करने पर, न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि बहाली के लिए दिया गया आवेदन प्रत्यर्थी संख्या-2, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील-मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर द्वारा एक अत्यधिक तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था, जो नहीं किया जाना चाहिए था; और यदि प्रत्यर्थी संख्या-2 को यह पाया गया था कि उसमें कोई टंकण संबंधी त्रुटि थी, तो कम से कम उस त्रुटि को सुधारने का एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए था।

5. इस मामले को देखते हुए और न्याय के हित में भी, चूंकि बहाली की अर्जी उसी तारीख को दाखिल की गई थी जिस तारीख को मामला त्रुटि के कारण खारिज कर दिया गया था, इसलिए बहाली की अर्जी 500/- रुपये के खर्च के साथ मंजूर की जाती है; यह राशि उन्हें एक सप्ताह के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पक्ष में जमा करनी होगी। यदि ऐसा किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति और 500/- रुपये की राशि जमा करने के प्रमाण के साथ, एक सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी संख्या-2 के समक्ष एक विविध आवेदन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दाखिल करे; इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या-2 को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके अगले दो सप्ताह के भीतर बहाली की अर्जी पर औपचारिक आदेश पारित करे और पूरे मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से करे।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”